विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 326

दुर्ग, दिनांक - 23/9/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 126
दिनांक: 08/05/2026

अधीक्षण यंत्री
नगर निगम भिलाई

आवेदक

बी.पी. क्रमांक : **1001919546**

विरुद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिविजन वेस्ट
2. सहायक यंत्री, सुपेला जोन

आवेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 17 / 09 / 2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत सड़क बत्ती के प्रयोजन हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1001919546, स्वीकृत भार 5.2 किलोवाट, के विद्युत बिल में अनियमितता होने के संबंध में यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

2. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है /–

1. उपरोक्त विद्युत कनेक्शन नगर निगम भिलाई की सड़क बत्ती के प्रयोजन हेतु स्थापित है।

2. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 5.2 किलोवाट है।

3. सितंबर 2025 में उक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक द्वारा शिकायत की गई है कि नवंबर 2023 से जून 2025 की अवधि के लिए 2221 यूनिट की खपत के आधार पर विद्युत बिल जारी किया गया है, जबकि उक्त बिलिंग सही मीटर रीडिंग अथवा उचित फील्ड वेरिफिकेशन के आधार पर नहीं की गई है। अतः उक्त अवधि की असेसमेंट/बिलिंग का पुनर्निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

आवेदक द्वारा यह भी शिकायत की गई है कि सड़क बत्ती के कनेक्शन पर लगाए गए पावर फैक्टर/कैपेसिटर सरचार्ज उचित नहीं हैं तथा लागू टैरिफ के अनुसार उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर (MF) का सत्यापन किए जाने तथा मीटर किराये के रूप में लगाए जा रहे ₹100 को लागू मीटर श्रेणी के अनुसार संशोधित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा उक्त कनेक्शन से संबंधित अप्रैल 2018 से जून 2026 तक का बिलिंग डाटा एवं गणना पत्रक फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदकगण द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त कनेक्शन में स्थापित मीटर जनवरी 2023 से जुलाई 2025 तक डिफेक्टिव रहा तथा अगस्त 2025 में उक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं /–

1. क्या मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में की गई 2221 यूनिट के आधार पर बिलिंग का पुनर्निर्धारण किया जाना उचित है?

2. क्या मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में लगाए गए कैपेसिटर सरचार्ज को निरस्त किया जाना उचित है?

3. क्या मीटर किराये की दर को ₹100 से घटाकर लागू मीटर श्रेणी के अनुसार ₹35 किया जाना उचित है?

4. क्या कनेक्शन में प्रयुक्त मल्टीप्लाइंग फैक्टर (MF) में कोई विसंगति है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत मीटर डायरी, मीटर रीडिंग एवं बिलिंग गणना पत्रक का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के परीक्षण से निम्न तथ्य सामने आते हैं /–

6.1 अभिलेखों के अनुसार उपभोक्ता के कनेक्शन में स्थापित मीटर अगस्त 2022 से जुलाई 2025 की अवधि में डिफेक्टिव रहा। उक्त अवधि के दौरान विद्युत खपत की बिलिंग 2221 यूनिट के औसत के आधार पर की जाती रही।

मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में वास्तविक मीटर रीडिंग उपलब्ध नहीं होने के कारण 2221 यूनिट की औसत खपत के आधार पर की गई बिलिंग का पुनः परीक्षण आवश्यक है। अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उक्त डिफेक्टिव अवधि की औसत खपत को 471 यूनिट के अनुसार संशोधित कर बिलिंग किया जाना उचित पाया जाता है।

स्मार्ट मीटर सितंबर 2025 में स्थापित किया गया है। अभिलेखों के परीक्षण में कनेक्शन का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 पाया गया है। अतः MF के संबंध में कोई अतिरिक्त संशोधन आवश्यक नहीं है।

6.2 मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि के दौरान उपभोक्ता के बिल में कैपेसिटर सरचार्ज लगाया गया है। चूंकि उक्त अवधि में मीटर डिफेक्टिव था, अतः उक्त अवधि के लिए लगाए गए कैपेसिटर सरचार्ज की बिलिंग उचित नहीं मानी जा सकती। इसलिए मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि के कैपेसिटर सरचार्ज को निरस्त किया जाना उचित है।

6.3 अभिलेखों एवं अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत गणना पत्रक के परीक्षण से यह पाया गया कि उपभोक्ता से मीटर की श्रेणी के अनुसार लागू दर से अधिक ₹100 प्रतिमाह मीटर किराया लिया गया है। अतः मीटर किराये की दर को लागू मीटर श्रेणी के अनुसार ₹35 प्रतिमाह किया जाना उचित है।

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत गणना पत्रक के अनुसार उक्त संशोधन अप्रैल 2018 से प्रभावी किया जाना है। अतः अप्रैल 2018 से मीटर किराये की दर ₹35 प्रतिमाह के अनुसार पुनर्गणना कर आवश्यक समायोजन किया जाना उचित है।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्नानुसार आदेश पारित करता है /–

1. मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि अगस्त 2022 से जुलाई 2025 के दौरान 2221 यूनिट के आधार पर की गई बिलिंग को संशोधित करते हुए उक्त अवधि की औसत खपत 471 यूनिट के आधार पर, लागू नियमों के अनुसार पुनर्गणना कर संशोधित बिलिंग की जाए।

2. मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि के दौरान लगाए गए कैपेसिटर सरचार्ज को पूर्णतः निरस्त किया जाए तथा उक्त मद में वसूल की गई राशि का नियमानुसार समायोजन किया जाए।

3. उपभोक्ता के कनेक्शन में लागू मीटर किराये को ₹100 प्रतिमाह से घटाकर ₹35 प्रतिमाह किया जाए तथा अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत गणना पत्रक के अनुसार यह संशोधन अप्रैल 2018 से प्रभावी करते हुए अतिरिक्त वसूल की गई राशि का नियमानुसार समायोजन किया जाए।

4. कनेक्शन में प्रयुक्त मल्टीप्लाइंग फैक्टर (MF) 1 पाया गया है। अतः इस संबंध में किसी अतिरिक्त संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

5. उपर्युक्त संशोधन एवं समायोजन के पश्चात यदि उपभोक्ता के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा अथवा वसूल होना पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार उक्त राशि का आगामी बिलों में समायोजन किया जाए।

6. अनावेदकगण संशोधित बिलिंग गणना पत्र तैयार कर उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं तथा इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

7. उपर्युक्त निर्देशों के साथ प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

8. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

9. आदेश पारित।

10. प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. संजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग